

**राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोर्ट, जिला भीलवाड़ा**

पीठाधीन अधिकारी-भागीरथ साखु (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 133/2016

श्री अमरसिंह पिता किशनसिंह राजपुत निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा प्रार्थना

बनाम

1. श्री रामेश्वर पिता रूनीलाल कलाल निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
2. श्री कन्हैयालाल पिता रूनीलाल कलाल निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
3. श्री बंकरलाल पिता रूनीलाल कलाल निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
4. श्री श्यामसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत निवासी सबला जी का खड़ा तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
5. श्री गोपाल पिता शोभा वामर निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
6. श्री प्रहलाद पिता श्री रवीरसिंह राजपुत निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
7. श्री लार्देसिंह पिता श्री उदयसिंह राजपुत निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा
8. श्री भूकसिंह पिता श्री उदयसिंह राजपुत निवासी सालरिया तहसील कोर्ट, जिला भीलवाड़ा विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा10म0अ10 1956

:: निर्णय ::

दिनांक 11/02/2017

प्रार्थनापत्र की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा10म0 अतिनिधम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 30/03/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वार्ड ग्राम सालरिया 40ह0 साला का खड़ा तहसील कोर्ट जिला भीलवाड़ा राज. सं आरजी नम्बर 125, 466/123, 473/123 कीता 3 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। विवेचित भूमि प्रार्थनापत्र के खतरेदारी हक में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के विपक्षी राजपुत पक्षी है। प्रार्थनापत्र एवं विपक्षी राजपुत के हक में बिस्वा नही हान से आयें दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहा है। जिससे प्रार्थनापत्र अपने खतरे सीमा बिस्वा की पक्षरगणी कराना चाहता/चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पक्षरगणी का आदेश करमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र हेतु न्यायालय में दिनांक 30/03/16 को पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थनापत्र पक्षकार की सूचना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थनापत्र-पक्ष में वर्तित भूमि प्रार्थनापत्र के खतरे की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खतरेदार अपने खतरे की कृषि भूमि की पक्षरगणी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र का स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

ग्राम सालरिया 40ह0 साला का खड़ा तहसील कोर्ट जिला भीलवाड़ा राज. सं आरजी नम्बर 125, 466/123, 473/123 कीता 3 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा की पक्षरगणी उपयुक्तों को सूचित कर दिष्टी निर्धारण के पश्चात पक्षरगणी की जावे। भूमिगत विपक्षी राजपुत को उक्त कथ हेतु कतिपय निर्णय किया जाता है। प्रार्थनापत्र कतिपय फीस रुपये 1000/- भूमिगत विपक्षी राजपुत को जमा कराया। आदेश की पालना कर 07 योग में न्यायालय को अवगत करावे। आदेश पृथक से जारी किया जावे। निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को खूले न्यायालय में सूचनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर से कम की जाकर फसल बेमान हो।

(भागीरथ साखु)
उपखण्ड अधिकारी
कोर्ट, भीलवाड़ा

प्रतिनिधी-तहसीलदार कोर्ट की भुजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर 07 योग में कर रिपोर्ट पेश करे